



भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
संचार विभाग/ Department of Communication

सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाओं के लिए एजेंसी को सूचीबद्ध करना

संचार विभाग (डीओसी) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन सेवा प्रदाताओं से ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है।

सोशल मीडिया प्रबंधन
(i) 24*7 सोशल मीडिया कार्यनीति और प्रबंधन
(ii) सोशल मीडिया के लिए क्वांटिटी बनाना
(iii) पॉडकास्ट निर्माण और प्रबंधन
(iv) सोशल मीडिया लिसनिंग और एनालिटिक्स
(v) प्रमोशन से जुड़ी योजनाएँ बनाना और उन्हें लागू करना
(vi) ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रबंधन

महत्वपूर्ण तिथियाँ

निविदा आरंभ होने की तिथि: बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को 1700 बजे

बोली आरंभ होने की तिथि: बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को 1700 बजे

बोली बंद होने की तिथि: शुक्रवार, 06 नवंबर 2026 को 1200 बजे

बोली खोलने की तिथि और समय: सोमवार, 09 नवंबर 2026 को 1200 बजे

नियम और शर्तें

कृपया ध्यान दें कि कोई भी भौतिक बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी बोलियाँ केवल इवेंट संख्या (2026_RBI_293692_1) के सापेक्ष सीपीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।

बैंक, सेवा प्रदाताओं से, दो-बोली प्रसंस्करण प्रणाली के अंतर्गत बोलियाँ आमंत्रित करता है। बोलियाँ दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए - तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली। किसी बोली लगाने वाले के तकनीकी रूप से योग्य होने पर ही वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी। तकनीकी मूल्यांकन में योग्य बोली लगाने वालों में से जो बोली लगाने वाला सबसे कम बोली लगाता है, वह सफल बोली लगाने वाला होगा और उसे कार्य सौंपा जाएगा (एल1 बोली लगाने वाला)।

भाग लेने वाली एजेंसियों को आरएफपी 2026_RBI_293692_1 में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोलियाँ जमा करनी होंगी।

सफल बोली लगाने वाले को कार्य आदेश राशि का 5% की बैंक गारंटी देनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तावित योजना में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में, आवश्यक परिवर्तनों / सुधारों के साथ सीपीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर एक नई ई-निविदा अपलोड की जाएगी और एजेंसियों को पुनः बोली लगाने की आवश्यकता होगी।



सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाओं के लिए एजेंसी को सूचीबद्ध करना

टीडीएस और जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस की कटौती लागू दर के अनुसार की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (जिसे आगे मॉनिटर कहा जाएगा) नियुक्त किया है। श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, सेवानिवृत्त आईआरएस, 38, द ट्रेल्स, मणिकोंडा, आर.आर. जिला, हैदराबाद-500089 और श्री प्रमोद श्रीपाद फलनीकर, सेवानिवृत्त आईपीएस, ए-2,602 फेज-I, आदित्य शगुन, सीएचएस, एनडीए- पाषाण रोड, बावधन, पुणे, महाराष्ट्र-411021।

स्वतंत्र मॉनिटर के ईमेल इस प्रकार हैं:

knageshwarrao@gmail.com

pramodphalnikar@gmail.com

स्पष्टीकरण, यदि कोई आवश्यक हो, तो ईमेल के माध्यम से smccdoc@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं।

विज्ञापन एजेंसियों को बैंक के सभी दस्तावेजों, सूचना, डेटा और उसके साथ संचार को विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय मानना चाहिए।

ई-निविदा (सीपीपी पोर्टल) के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-खरीद प्रक्रिया कार्यक्रम है। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)
<https://etenders.gov.in/eprocure/app> ई-खरीद सेवा प्रदाता / कॉन्ट्रैक्टर है।

ई-टेंडर की प्रक्रिया: बोली लगाने वाला मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

ए) नए बोली लगाने वाले के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। <https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&s>

तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मामले या स्पष्टीकरण के लिए, बोली लगाने वाले से अनुरोध है कि उनके संबंधित निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in